

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम.....खे.ख.ख. के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार नायब तहसीलदार
25/09/25
रा.प.र.

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 296

दिनांक : 25/09/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम खे.ख.ख. के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार रा.प.र. की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रा.प.र. को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

